Bill No. 5 of 2026

THE RAJASTHAN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall be deemed to have been come into force on and from 17th December, 2025.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In the definition of "apprentice" in section 2 of the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 (Act No. 31 of 1958), hereinafter referred to as the principal Act, for the existing expression "a person, aged not less than twelve years", the expression "a person, aged not less than fourteen years" shall be substituted.

3. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 7 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1),-

(a) for the existing expression "nine hours", the expression "ten hours" shall be substituted;

(b) in the second proviso, for the existing expression "exceed fifty", the expression "exceed one hundred forty four" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the existing expression "twelve and fifteen", the expression "fourteen and eighteen" shall be substituted.

4. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 9 of the principal Act, for the existing word "five", wherever occurring, the word "six" shall be substituted.

5. Amendment of section 21, Rajasthan Act No. 31 of 1958.- In section 21 of the principal Act, for the existing word "twelve", the word "fourteen" shall be substituted.

6. Amendment of section 22, Rajasthan Act No. 31 of 1958. - In section 22 of the principal Act, for the existing expression "child between the ages of 12 and 15", the expression "child between the ages of fourteen and eighteen" shall be substituted.

7. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 3 of 2025) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under this Act.

———

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Government of India (GOI) has issued a compliance, reduction and deregulation docket for the state seeking revision of working hours limit for Shops and Commercial Establishment workers.

In compliance of the docket, it became necessary to amend working hours of employees working in Shops and Commercial Establishments.

It is proposed to increase the daily working hours from 'nine' hours to 'ten' hours and also to increase the working period from 'five' hours to 'six' hours before an employee has interval of rest of at least half an hour each day. Similarly, quarterly overtime limit is also proposed to be 'one hundred and forty four' hours.

Provisions relating to the Age or working hours of child and woman in an establishment is also proposed to be amended.

Higher Limit of daily working hours would increase the maximum working capacity of Shops and Commercial Establishments and allow employers to create more jobs and to ensure presence of employees to work or to supervise as required.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and the circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore promulgated the Rajasthan Shops and Commercial Establishments (Amendment) Ordinance, 2025 (Ordinance No. 3 of 2025) on 17th December, 2025 which was published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part-IV (B), dated 18th December, 2025.

The Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

भजन लाल शर्मा,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS ACT, 1958

(Act No. 31 of 1958)

XX XX XX XX XX XX

2. Definitions. - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,-

(1) "apprentice" means a person, aged not less than twelve years, who is employed, whether on payment of wages or not, for the purpose of being trained in any trade, craft or employment in any establishment;

(2) to (21) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

7. Daily and weekly hours.- (1) No employee in any establishment shall be required or allowed to work for more than nine hours in any day and forty-eight hours in any week:

Provided that the total number of hours of work including over-time shall not exceed ten hours in any day except on days of stock taking and preparation of accounts:

Provided further that the total number of over-time hours worked by an employee shall not exceed fifty in a quarter.

(2) No child between the ages of twelve and fifteen shall be allowed to work in any employment for more than three hours in a day.

XX XX XX XX XX XX

9. Interval for rest.- The period of work of an employee in an establishment each day shall be so fixed that no period shall exceed five hours and that no such person shall work for more than five hours before he has had an interval for rest of at least half-an-hour.

XX XX XX XX XX XX

21. Prohibition of employment of children.- No child who has not completed the age of twelve shall be required or allowed to work in any establishment.

22. Employment of women.- Prohibition of employment during night.- No woman or child between the ages of 12 and 15 shall be required or allowed to work whether as an employee or otherwise, in any establishment during night.

XX XX XX XX XX XX

2026 का विधेयक सं. 5

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह 17 दिसम्बर, 2025 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 31), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2(1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 7 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 7 की,-

(i) उप-धारा (1) में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "नौ घंटों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दस घंटों" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) द्वितीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास से अधिक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "एक सौ चवालीस से अधिक" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह और पन्द्रह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह से अठारह" प्रतिस्थापित की जायेगी;

4. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 में, जहां कहीं भी आये विद्यमान शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "छह" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 21 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 21 में, विद्यमान शब्द "बारह" के स्थान पर शब्द "चौदह" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

6. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 31 की धारा 22 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 22 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "बारह से पन्द्रह" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चौदह से अठारह" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश, इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार ने उन राज्यों के लिए अनुपालन, कमी और अविनियमन डाकेट जारी किया है, जो दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों के कर्मकारों के कार्य के घंटों की सीमा के पुनरीक्षण की मांग कर रहे थे।

डाकेट का अनुपालन करने के लिए, दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य के घंटों को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

दैनिक कार्य के घंटों को "नौ घंटों" से "दस घंटों" तक बढाया जाना और किसी कर्मचारी को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटे के विश्राम के अन्तराल से पूर्व कार्य करने की अवधि को भी "पांच" घंटे से बढाकर "छह" घंटे किया जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार, तिमाही अतिकाल की सीमा भी 'एक सौ चवालीस' घंटे किया जाना प्रस्तावित है।

किसी अधिष्ठान में बालक और महिला की आयु या कार्य के घंटों से संबंधित उपबंधों को भी संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

कार्य के घंटों की उच्चतर दैनिक सीमा दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों की अधिकतम कार्य क्षमता को बढायेगी और नियोजकों को, और अधिक रोजगार सृजित करने और कार्य करने के लिये कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने या यथा अपेक्षित पर्यवेक्षण करने के लिये अनुज्ञात करेगी।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए, उन्होंने 17 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान

(संशोधन) अध्यादेश, 2025 (2025 का अध्यादेश सं. 3) प्रख्यापित किया, जो राजस्थान राज-पत्र, असाधारण, भाग-IV(ख), में दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 31) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं:- जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में-

(1) "शिक्षु" से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो बारह वर्ष से कम आयु का नहीं है और जिसे मजदूरी के संदाय पर या बिना मजदूरी के किसी अधिष्ठान में, किसी व्यापार, शिल्प या नियोजन में प्रशिक्षण दिये जाने के प्रयोजनार्थ, नियोजित किया जाता है,

(2) से (21) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

7. दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे:- (1) किसी भी अधिष्ठान में, किसी भी कर्मचारी से, किसी भी दिन, नौ घंटों से अधिक और किसी भी सप्ताह अड़तालीस घंटों से अधिक कार्य करने की न तो अपेक्षा की जायेगी और न ही उसे ऐसा करने दिया जायेगा:

परन्तु अतिकाल को सम्मिलित करते हुए कार्य के कुल घंटे, सिवाय उन दिनों के जबकि स्टाक संभाला जाये अथवा लेखे तैयार किये जायें, किसी भी दिन दस से अधिक नहीं होंगे:

परन्तु यह और कि अतिकाल के कुल घंटे जिनके दौरान किसी कर्मचारी ने कार्य किया हो एक तिमाही में पचास से अधिक नहीं होंगे।

(2) बारह और पन्द्रह वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक को किसी भी नियोजन में एक दिन में तीन घंटे से अधिक कार्य नहीं करने दिया जायेगा।

XX XX XX XX XX

9. विश्राम के लिए अन्तराल:- किसी अधिष्ठान में प्रतिदिन किसी कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार नियत की जायेगी कि कोई भी अवधि पांच घण्टों से अधिक नहीं हो और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जब तक वह बीच में आधा घंटे का विश्राम न करले, पांच घंटे से अधिक कार्य नहीं करना पड़े।

XX XX XX XX XX

21. बालकों के नियोजन का प्रतिषेध:- किसी भी ऐसे बालक से जिसने बारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है न तो किसी अधिष्ठान में काम करने की अपेक्षा की जायेगी और न ही उसे ऐसा करने दिया जायेगा।

22. स्त्रियों का नियोजन-रात्रि में नियोजन का प्रतिषेध:- किसी भी स्त्री से या बारह से पन्द्रह वर्ष के बीच की आयु के किसी भी बालक से किसी भी अधिष्ठान में, रात्रि में, कर्मचारी के रूप में या अन्यथा न तो काम करने की अपेक्षा की जायेगी और न ही उसे ऐसा करने दिया जायेगा।

XX XX XX XX XX

Bill No. 5 of 2026

THE RAJASTHAN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS (AMENDMENT) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Bhajan Lal Sharma, **Minister-Incharge**)

2026 का विधेयक सं. 5

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम, 1958 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(भजन लाल शर्मा**, प्रभारी मंत्री)**